न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/34/2025	2025/81	25.04.2025	19.01.2025

1. रामकरण पुत्र श्री बद्री जाति ब्राह्मण, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम मेदपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज० प्रार्थी प्रति०—**प्रार्थी**

बनाम

1. प्रकाश पुत्र बद्री जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मेदपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज०

असल अप्रार्थी /वादी

2. उम्मेद पुत्र श्री बद्री जाति ब्राह्मण
3. जगदीश पुत्र श्री बद्री जाति ब्राह्मण
4. सूर्य पुत्र श्री बद्री जाति ब्राह्मण
5. रामबाबू पुत्र श्री बद्री जाति ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम मेदपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज०

तर० प्रतिवादी अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01— श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील प्रार्थी
02— कमल सिंह पोसवाल —वकील तर० अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, कठूमर जिला अलवर में एक राजस्व वाद संख्या 1/131/2024 बअनुवानी प्रकाश बनाम, उम्मेद वगैरा, बाबत तकसीम व हुकमइम्तनाई दवामी, अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राज.टी.एक्ट विचाराधीन है। उक्त मुकदमे में आगामी पेशी दिनांक 24—04—25 वास्ते बहस टी.आई. में नियत है।

उपरोक्त मुकदमे के संदर्भ में ही अप्रार्थी वादी ने तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर अंतर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु0नं0 2/32/25 भी पेश किया हुआ है, जिसमें भी आगामी पेशी दिनांक 24—04—25 की नियत है। वादी अप्रार्थी ने दिनांक 15—04—2025 को गांव में प्रार्थी से ऐलानिया तौर पर कहा कि मैंने मुकदमे में तुझे स्टे से पाबंद तो करवा ही रखा है, अब मैं जमीन पर रिसीवर भी नियुक्त करवाकर दूँगा, मेरी राजनैतिक पहुँच है तथा मैंने सारी सैटिंग बैठाली है, मेरे पक्ष में एसडीओ साहब के यहां से आदेश हो जायेगा और अगली पेशी पर जमीन कब्जे राज लेने के आदेश करवा लूँगा, मेरी एसडीओ साहब से बात चीत हो चुकी है। इसके बाद दिनांक 17—04—2025 को प्रार्थी ने वादी अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ साहब कठूमर के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

चेम्बर में भी बैठा हुआ देखा, जिससे प्रार्थी को स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी से प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा तथा प्रार्थी को उनसे न्याय की उम्मीद नहीं रही है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर में विचाराधीन मुकदमा दावा संख्या 1/131/2024 बअनुवानी प्रकाश बनाम, उम्मेद वगैरा, बाबत तकरीम व हुकमइम्तनाई दवामी एवं प्रार्थना पत्र 212 RT ACT 2/117/24 जिसमें आगामी पेशी दिनांक 24-04-25 वास्ते बहरा टी. आई. में नियत है एवं इसी मुकदमे के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत कायमी रिसीवर अंतर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर मु०नं० 2/32/25, जिसमें भी आगामी पेशी दिनांक 24-04-25 की नियत है, को किसी दीगर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में मुंतकिल किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। तरतीवी रेस्पो. सं० 2 ला. 5 जरिये वकील उपस्थित रहे हैं। तरतीवी रेस्पो. वकील ने जवाब पेश नहीं करते हुए बहस हेतु निवेदन किया गया। तरतीवी रेस्पो. वकील की बहस सुनी गई। तरतीवी रेस्पो. वकील ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना जाहिर किया गया एवं प्रार्थना-पत्र को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन-मनन किया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मुन्तकिल में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद मनगढंत झूठे एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य अदालत में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय विधिवत एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रकरण में सुनवाई की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ-पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर